निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण 1942 (श0)
(सं0 पटना 932) पटना, सोमवार, 7 दिसम्बर 2020

सं0 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017—507
उद्योग विभाग

vf/klpuk
20 अप्रील 2020

विषय :— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य कर/वैट/जी0एस0टी0 प्रतिपूर्त्ति किये जाने के संबंध में।

औद्योगिक प्रगति को तीव्र करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य कर/वैट/जी0एस0टी0 प्रतिपूर्त्ति की घोषणा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में की गई है। तत्पश्चात बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन से संबंधित संकल्प संख्या—108 दिनांक—20.01.2020 के आलोक में निम्नवत् प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।

प्रात्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा www.swc.bihar.gov.in पोर्टल पर एस0 जी0 एस0 टी0 प्रतिपूर्त्ति के लिए निहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। इस संकल्प के एनक्चर I एवं II के पार्ट—I को इकाई द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर भरा जाएगा तथा पार्ट—II को ऑफलाईन भरकार उसकी प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ एनेक्चर भाग में संलग्न किया जाएगा।

एस0जी0 एस0 टी0 की प्रतिपूर्त्ति के ऑनलाईन आवेदन के लिए आवश्यक दिशा—निर्देश इस संकल्प के एनक्चर—III में वर्णित है।

ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को वाणिज्य–कर विभाग को जाँच हेतु भेजा जाएगा। वाणिज्य–कर विभाग जाँचकर प्रतिपूर्त्ति हेतु उद्योग विभाग को अनुशंसा करेगी। इसके पश्चात् इकाईयों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है |

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 932-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in